

अभिलेख सं०-टी० ए० जिस वार सं०- 1098/2019-20
 केस का प्रकार-(छातनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)
 नीलकंठ महतीआवेदक/विक्रेता
बनाम
 अंजना कुमारी.....क्रेता

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

5-03-2020

विक्रेता :- नीलकंठ महती पिता स्व० माहि महती, ग्राम-मानिकबाजार
 थाना-सरायकला, जिला-सरायकला-खरसावाँ(झारखण्ड), जति-कुर्मी।
क्रेता :- अंजना कुमारी पति नितीश कुमार महती पिता सुरेन्द्र नाथ महती,
 ग्राम-बरगीडीह, आसंगी, मनसा मंदिर के समीप, थाना-आर०आइ०टी०,
 जिला-सरायकला-खरसावाँ(झारखण्ड), जति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.10.2019 को आवेदन देकर छातनागपुर
 काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता अंजना कुमारी पति
 नितीश कुमार महती पिता सुरेन्द्र नाथ महती, ग्राम-बरगीडीह, आसंगी, मनसा मंदिर के
 समीप, थाना-आर०आइ०टी० जिला-सरायकला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित
 भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति मांगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

सौदा	थाना /थाना नं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा
जगन्नाथपुर	सरायकला/287	32	191/अं०	17.5हि०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकला से जाँच
 प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार
 निर्गत किया गया।
 अंचल अधिकारी, सरायकला का पत्रांक 177 दिनांक 12.02.2020 के द्वारा
 जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से
 स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से पंजी-II में दर्ज है।
2. विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के उपरान्त हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना
 चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-2.33½ एकड़ भूमि
 शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जति-कुर्मी है, जो अत्यंत पिछड़ा
 वर्ग के अन्तर्गत आते है।

8

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काइतकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तात्पर्य प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रीत नीलकंठ महती पिता स्व० माहि महती, ग्राम-मानिकबाजार थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) कंठा अंजना कुमारी पति नितीश कुमार महती पिता सुरेन्द्र नाथ महती, ग्राम-बरगीडीह, आसंगी, मनसा मंदिर के समीप, थाना-आर०आई०टी०, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकबा-17.5है० भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काइतकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेगी।

सरायकेला।

भूमि सूधार उप समाहती,



लेखापति,

भूमि सूधार उप समाहती,
25/10/2019
सरायकेला।